कार्यालय उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांक : 20 /उपा0का0/2025–26 दिनांक : 01 जुलाई, 2025

आदेश

पूर्व पारित आदेश संख्या–16/उपा0का0/2025–26 दिनांक 29 मई, 2025 में संशोधन करते हुए प्राधिकरण के विभिन्न प्रवर्तन जोन क्षेत्रों में अवैध निर्माण एवं विपरीत भू–प्रयोग आदि से सम्बन्धित वादों के विधि–सम्मत् व त्वरित निस्तारण हेतु मैं प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष–लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–51(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–25, 26, 26–ए, 27, 28, 28–क(1), 28–क(2) एवं धारा–49 के अन्तर्गत प्रदत्त अपने अधिकार निम्न अधिकारियों को जोनल अधिकारी (प्रवर्तन जोन) के दायित्वों के निर्वहन हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित जोन क्षेत्रों के लिए एतद्द्वारा प्रतिनिधानित करता हूँ:–

क्र	जोनल अधिकारी का नाम	प्रवर्तन जोन क्षेत्र	लिंक अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	श्री प्रभाकर सिंह, नजूल अधिकारी	जोन–1	श्री विपिन शिवहरे, विहित प्राधिकारी
2	श्री देवांश त्रिवेदी, विशेष कार्याधिकारी	जोन–2	श्री माधवेश कुमार, उपसचिव
3	श्री विपिन शिवहरे, विहित प्राधिकारी	जोन–3	श्रीमती वन्दना पाण्डेय, विशेष कार्याधिकारी
4	श्रीमती संगीता राघव, विशेष कार्याधिकारी	जोन–4	श्री प्रभाकर सिंह, नजूल अधिकारी
5	श्री माधवेश कुमार, उपसचिव	जोन–5	श्री रविनन्दन सिंह, विशेष कार्याधिकारी
6	श्रीमती वन्दना पाण्डेय, विशेष कार्याधिकारी	जोन–6	श्रीमती संगीता राघव, विशेष कार्याधिकारी
7	श्री रविनन्दन सिंह, विशेष कार्याधिकारी	जोन–7	श्री देवांश त्रिवेदी, विशेष कार्याधिकारी

1. जोनल अधिकारी (प्रवर्तन) के अन्य दायित्वों के साथ–साथ निम्नलिखित दायित्व भी होंगे:–

   i) उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–25, 26, 26–ए, 27, 28, 28–क(1), 28–क(2) एवं धारा–49 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही समयानुसार प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराई जायेगी।

   ii) अपने–अपने जोनों में आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोकने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

   iii) अनाधिकृत/अवैध निर्माण विशेषतः लैण्डयूज के विपरीत (व्यवसायिक निर्माणों, ग्रुप हाउसिंग, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि) का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही स्वयं सुनिश्चित करायेंगे।

   iv) साप्ताहिक रूप से अनाधिकृत निर्माणों की समीक्षा की जायेगी तथा निचले स्तर पर अनाधिकृत निर्माण में कर्मचारियों की संलिप्तता परिलक्षित होती है, तो उनके विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपनी संस्तुति सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

v) मा0 न्यायालयों में संस्थित वादों में समयानुसार जवाबदावा दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायेंगे तथा साप्ताहिक रूप से वादों के सम्बन्ध में सूचना सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

vi) अवैध/अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आईजीआरएस संदर्भों का गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण करायेंगे।

vii) जिन बिल्डिंगों को सील किया गया है, उनकी साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी तथा सील बिल्डिंग का फोटोग्राफ्स पत्रावली पर संरक्षित किया जायेगा तथा यदि किसी सील बिल्डिंग में कार्य होता पाया जाता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही विहित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

viii) मानचित्र अनुभाग से समन्वय स्थापित कर जिन बिल्डिंगों का मानचित्र स्वीकृत हुआ है, उनसे सम्पर्क स्थापित कर मानचित्र के अनुसार निर्माण किये जाने हेतु परामर्श/प्रेरित किया जायेगा तथा यदि सम्बन्धित द्वारा मानचित्र के अनुसार निर्माण नहीं किया जाता है, तो प्रारम्भिक स्तर पर ही सम्बन्धित के विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

ix) अधिनियम की धारा-16 के उल्लघंन में सी0जे0एम0 न्यायालय में परिवाद भेजने तथा एक बार निर्णीत होने के बाद भी धारा-16 का उल्लघंन जारी रहने पर पुनः सी0जे0एम0 न्यायालय में परिवाद प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा-14 के उल्लघंन होने की स्थिति में सम्बन्धित विहित प्राधिकारी के न्यायालय में पृथक से कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

2. लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में प्रवर्तन कार्यों हेतु निर्धारित किये गये जोनों के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारियों को जोनल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके नियंत्रण में सम्बन्धित प्रवर्तन जोन में तैनात सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता सीधे कार्य करेंगे।

3. सम्बन्धित अभियंत्रण जोन के अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ अभियन्ताओं के साथ ध्वस्तीकरण अभियान में सम्बन्धित जोनल अधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे व ध्वस्तीकरण कार्यवाही के समय जोनल अधिकारी के साथ उपस्थित रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष

<u>प्रतिलिपि</u> :-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/समस्त अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. वित्त नियंत्रक/मुख्य नगर नियोजक/मुख्य अभियन्ता/विहित प्राधिकारी।
3. समस्त संयुक्त सचिव, समस्त विशेष कार्याधिकारी, समस्त सम्पत्ति अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता/समस्त उपसचिव/अनुसचिव/कर एवं राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार /चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक चकबन्दी अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 को इस आशय से कि उक्त आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी/विधि अधिकारी/ अन्य सम्बन्धित/गार्ड फाइल।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष